File No. MCDR-MCFDCGHINFLOGEDV36AHO218-MINOBMINRQCAHNputer No. 5274)

I/31436/2024 I/31436/2024

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ त्रिव डाक)

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 07/05/2024

संख्या: 10123: MCDR-MiFL0GEN/3/2024-AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: मैं. जयपुर मेगमेटिक्स प्रा.लिमि. नन्दनम–2, ए–2 तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर–302005

इंमेल : (vinod@haritsons.com, minesmanager06@gmail.com, hmpl.barmer@gmail.com)

विषय : राजस्थान राज्य के बाढमेर जिले में स्थित आपकी बरियाडा सिलीसियश अर्थ खान (एमएल 04 / 10) क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 17/10/2023 by undersign in presence of Shri Jasbir Singh, representative of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review Mining Plan
	approved on 11/02/2019 to the extent given below for the year 2022-23:
	1. It was proposed to mine out 7240 tones of ROM from the mine during the year 2022-
	23. But the quantity or ROM excavated during the year is only 200 tones, which is
	much below the proposed ROM production. Similarly O/b handling during the year
	2022-23 is also not as approved.
55(3)	Mining operations have been carried out without appointment of Geologist.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत :

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला– बाढ़मेर।
- 4. रक्षित पत्रावली ।

सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर